

कार्यालय- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग छ०ग०

//विविध आदेश//

क्र./क्यू./सी.जे.एम./2026

दुर्ग, दिनांक 01.09.2026

छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, की अधिसूचना दिनांक 31.08.2026, क्र./ **GENCOR-1540/2026-WCD** एवं माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के पृष्ठांकन क्रमांक **Endt. no. 15372/III-6-5/16 (JJC-59)** बिलासपुर दिनांक 01.09.2026 के अनुसार श्रीमती कामिनी जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग की पदस्थापना किशोर न्याय बोर्ड दुर्ग में प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में किये जाने एवं श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग द्वारा मातृत्व अवकाश पश्चात कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप मैं भूपेश कुमार बसंत, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग, उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में पूर्व में जारी दांण्डिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक/क्यू/दां.का.वि./सीजेएम/2026 दुर्ग दिनांक 07.01.2026 की निरंतरता में निम्नानुसार आदेश पारित करता हूँ-

1. श्रीमती कामिनी जायसवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग के न्यायालय में लंबित समस्त आपराधिक प्रकरण, विविध नस्तियाँ, रिमांड प्रपत्र (सूची अनुसार एक्शन प्लान एवं राजीनामा योग्य प्रकरणों को छोड़कर) कार्यवाही/निराकरण हेतु श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग के न्यायालय में अंतरित किये जाते हैं। आगामी आदेश तक उक्त न्यायालय के थानों से संबंधित समस्त कार्य, उक्त न्यायालय द्वारा जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट एवं ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय द्वारा कार्यवाही कोई दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं, के संबंध में श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग द्वारा कार्यवाहियाँ संपादित की जावेगी।
2. रिक्त न्यायालय (श्री रवि कुमार कश्यप) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग द्वारा जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट एवं ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय द्वारा कार्यवाही कोई दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं, के संबंध में श्री शाश्वत दुबे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग द्वारा कार्यवाहियाँ संपादित की जावेगी।
3. रिक्त न्यायालय (श्रीमती श्वेता पटेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग द्वारा जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट (धारा 354, 509 भा०दं०सं०, नवीन धारा, 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा०न्या०सं० के मामलों को छोड़कर) एवं ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय द्वारा कार्यवाही कोई दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं, के संबंध में श्री आयुष ताम्रकार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग द्वारा कार्यवाहियाँ संपादित की जावेगी।

4. रिक्त न्यायालय (श्रीमती श्वेता पटेल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग के न्यायालय द्वारा धारा 354, 509 भा०दं०सं०, नवीन धारा, 74, 75, 76, 77, 78, 79 भा०न्या०सं० के मामलों में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट, के संबंध में कु. मुस्कान शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग द्वारा कार्यवाहियाँ संपादित की जावेगी ।

5. रिक्त न्यायालय (कु. ईशानी अवधिया) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग द्वारा जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट एवं ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय द्वारा कार्यवाही कोई दिशा निर्देश प्रदान किये गये हैं, के संबंध में श्री ईशान व्यास, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग द्वारा कार्यवाहियाँ संपादित की जावेगी ।

Sd/-

(भूपेश कुमार बसंत)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग
जिला-दुर्ग (छ०ग०)

प्रतिलिपि:-

- (1) माननीय प्रधान, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की ओर सादर सम्प्रेषित ।
- (2) माननीय श्री/श्रीमती/कु० , अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
- (3) श्री/श्रीमती/कु० , न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग/भिलाई-तीन/धमधा एवं पाटन को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।
- (4) कलेक्टर, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- (5) पुलिस अधीक्षक, दुर्ग को सूचनार्थ इस अपेक्षा के साथ प्रेषित, कि सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारियों, दुर्ग को तत्संबंध में सूचित करें ।
- (6) जिला अधिवक्ता संघ को सूचनार्थ प्रेषित ।

Sd/-

(भूपेश कुमार बसंत)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुर्ग
जिला दुर्ग (छ०ग०)